

आदेश
दिनांक

आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज

मे प्राची ✓
इस पथानिया
मे कामे को दिनांक 07/11/16
नही था।

सर सुलतान

मे जज
Not
Sury
9/12/19

प्राची सरइल सिंह की पहचान
उनके अधिवक्ता के कार की गरी
प्राची व प्राची अधिवक्ता को सुना
गया। व पत्रावली का अवलोकन किया
गया प्राची के कार प्राचीन पत्र
अन्तर्गत धारा 212 RTA नोट प्रेश
करने पर प्रकरण इसी स्टेज पर
खारिज किया जाता है। पत्रावली मे
जारी दिनांक 07/11/16 की अस्थाधी
विधेधारा निरस्त की जाती है। पत्रावली
निर्णति होकर नम्बर से कम हो



(राजस्व विभाग)
जज (राजस्व)
सोनपट्टा

